जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज, दन्तेवाड़ा
जिला–दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा (छ0ग0)

क्रमांक / 24 / जि0परि0ला0कॉ0 / रू.अभि. / 2023–24 / दन्तेवाड़ा, दिनांक 10 / 05 / 2023

रूचि की अभिव्यक्ति

----000----

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज दंतेवाड़ा, में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना / प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदायकर्ता ट्रेनिग पार्टनर हेतु" रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक / संस्था / फार्म / एजेन्सी अधिक जानकारी हेतु जिला दन्तेवाड़ा के शासकीस वेबसाईट **www.dantewada.nic.in** का आवलोकन कर सकते है।

प्रस्ताव जमा करने की अंतिम दिनाकः– 09 / 06 / 2023 3 बजे PM

रूचि की अभिव्यक्ति खोलने की दिनांक– 09 / 06 / 2023 4 बजे PM

स्थान– जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज कारली , गीदम दंतेवाड़ा, छ0ग0

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

प्रभारी अधिकारी
जि0परि0ला0कॉ0 सोसायटी
दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा छ0ग0

कार्यालय, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज दंतेवाड़ा

//रूचि की अभिव्यक्ति//

क्रमांक / 23 /जि.प.ला.का.द./ रूचि.अभि. /2023–24 दंतेवाड़ा, दिनांक 10/05 /2023

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज जिला दंतेवाड़ा में **मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना**, **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना**, अंतर्गत निम्न व्यवसायों में प्रशिक्षण संचालन के लिए ट्रेनिंग पार्टनर के चयन हेतु रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित किया जाता है–

प्रशिक्षण कार्य अंतर्गत चयनित हितग्राहियों को मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनान्तर्गत निर्धारित पाठयक्रम में निम्नानुसार सेक्टर अंतर्गत जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी दंतेवाड़ा में नवीन तकनीकों का उपयोग कर गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण प्रदाय किया जाना है। प्रशिक्षण हेतु निर्देश एवं पाठय सामग्री का माध्यम हिन्दी होना चाहिए। सेक्टर एवं कोर्स का विवरण निम्नानुसार है :–

S.No	Sector	Job Role
1	Construction	Assistant electrician,
2	Plumbing	Plumber General Assistant/ Plumber General
3	IT-Ites	Domestic Data entry Operator,
4	Capital Goods	Assistant Manual Metal Arc Welding/Shielded Metal Arc welding welder or Metal Arc welding
5	Electornic and Hardware	Field Technician Other Home Appliances
6	Automotive	Automotive-Taxi Driver, 2-3 Wheeler Service Technician,

रूचि की अभिव्यक्ति में भाग लेने वाली संस्थाओं हेतु न्यूनतम अर्हताऍ

1. संस्था/प्रतिष्ठान का रूचि की अभिव्यवित जारी तिथि से कम से कम 03 वर्ष से अस्तित्व में होना आवश्यक है।
2. संबंधित संस्था/प्रतिष्ठान राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (CSSDA) रायपुर (छ.ग.) में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (VTP) के रूप में पूर्व में/वर्तमान में पंजीकृत हो या
3. ऐसे प्रशिक्षण संस्था/प्रतिष्ठान जो उक्त व्यवसायों में शिक्षण/प्रशिक्षण/व्यवसाय करते हो तथा छ.ग. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम अन्तर्गत पंजीकृत हो ।

प्रक्रिया शुल्क

- संस्था द्वारा राशि रू. 50000.00 (पचास हजार रूपये मात्र) सुरक्षा निधि बैक ड्राफ्ट के रूप में आवेदन के साथ लिफाफा "अ" में जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट " नोडल अधिकारी जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज दंतेवाड़ा" के पक्ष में देय हो, जो वापसी योग्य होगा, जिस पर ब्याज देय नहीं होगा। उक्त राशि अनुबंध अवधि तक के लिए कार्यालय में जमा रहेगा।

- रूचि की अभिव्यक्ति प्रकिया शुल्क 1000 रू (एक हजार रूपये) का डिमाण्ड ड्राफ्ट किसी राष्ट्रीयकृत बैंको से जारी जो कि प्राचार्य लाईवलीहुड कॉलेज दन्तेवाड़ा के पक्ष में जारी हुआ हो, को लिफाफा "अ" के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जो वापसी योग्य नही होगा ।

सामान्य शर्ते एवं दायित्व

- संबंधित संस्था/प्रतिष्ठान को पेन, टेन, जीएसटी, विगत 03 वर्ष का आयकर रिटर्न रिपोर्ट लिफाफा "अ"जमा करना अनिवार्य होगा।
- संस्था/प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़ राज्य में ब्लैक लिस्टेड में नही होने के संबंध में 50 रू. के सटॉम्प पेपर में शपथ पत्र साथ ही नियम शर्तो मान्य होने के संबंध में सहमति पत्र लिफाफा "अ" प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- संस्था/प्रतिष्ठान को प्रत्येक सेक्टर हेतु नियोक्ताओं का मांग पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। कम से कम 2 नियोक्ताओं का मांग पत्र बस्तर संभाग का होना अनिवार्य होगा।
- संस्था/प्रतिष्ठान का चयन प्ररिशिष्ट "अ" में अंकित मापदण्डो के आधार पर (मेरिट) किया जावेगा।
- On the Job प्रशिक्षण हेतु आपके संस्था/प्रतिष्ठान से टाईअप कंपनी/इंडस्ट्रिज का सहमति पत्र लिफाफा "अ" में संलग्न करंना अनिवार्य होगा। जिसमें संभावित हितग्राहियों की संख्या एवं प्रशिक्षण समयावधि अंकित होना अनिवार्य है।
- पूर्व प्रशिक्षित हितग्राहियों को रोजगार, स्वरोजगार में नियोजन की सत्यापित जानकारी लिफाफा "अ"में संलग्न हो।
- चयनित संस्था/प्रतिष्ठान को प्रशिक्षण संचालन हेतु मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना (MMKVY) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) स्किल डेव्हलपमेंट इनिसीटिव स्किल (SDI) योजना एवं दिनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना (DDUGKY) के संचालन हेतु तय मानको के तहत एवं समय-समय पर जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज दंतेवाड़ा के प्रबंधन द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार ही प्रशिक्षण संचालित करना होगा। चयनित संस्था/प्रतिष्ठान को प्रशिक्षण कार्य लाईवलीहुड कॉलेज प्रबंधन द्वारा आवश्यकता अनुसार आबंटित किया जावेगा। आवश्यकता नहीं होने पर लाईवलीहुड कॉलेज प्रबंधन प्रशिक्षण कार्य संबंधितों को देने हेतु बाध्य नहीं होगा।
- संस्था/प्रतिष्ठान को जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज दंतेवाड़ा प्रबंधन द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अनुसार ही प्रशिक्षण संचालन करना होगा।
- संस्था/प्रतिष्ठान के पास व्यवसाय अनुसार राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के मापदण्डों के अनुरूप योग्यताधारी प्रशिक्षक एवं आवश्यक उपकरण यदि लैब सेटअप ट्रेनिंग पार्टनर द्वारा किये जाने की स्थिति में PMMKVY & MMKVY के मापदण्डों के अनुरूप कराना होगा।
- छ.ग. राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के पत्र क्रमांक/914/रापलाकासो/स्था./2020-21 रायपुर दिनांक 28-01-2021 द्वारा लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी एवं ट्रेनिंग पार्टनर के मध्य प्रशिक्षण राशि के विभाजन के संबंध में क्रियान्वयन एवं अनुपालन हेतु निम्न सारणी अनुसार दिशा-निदेश जारी की गई है।

क्र.	लैब लागत राशि	प्रशिक्षणा लगत राशि (%)	(A) भवन की उपलब्धता –लाईवलीहुड कॉलेज (B) प्रशिक्षक एवं समस्त लैब सेटअप, उपकरण, आवश्यक कच्चा सामग्री की व्यवस्था–ट्रेनिंग पार्टनर		(A) भवन एवं लैब सेटअप –लाईवलीहुड कॉलेज (B) प्रशिक्षक एवं लैब के लिए उपकरण, आवश्यक कच्चा सामग्री की व्यवस्था–ट्रेनिंग पार्टनर		भुगतान किश्त की जानकारी
			प्रशिक्षण राशि का भुगतान प्रतिशत (%)				
			लाईवलीहुड कॉलेज	ट्रेनिंग पार्टनर	लाईवलीहुड कॉलेज	ट्रेनिंग पार्टनर	
1	10 लाख से अधिक होने की स्थिति में	100	10	90	30	70	प्रथम–20 द्वितीय–20
2	10 लाख से कम होने की स्थिति में		15	85			तृतीय–60

- उपरोक्तानुसार निर्धारण के आधार पर राशि का भुगतान किया जावेगा। साथ ही राज्य कार्यालय द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप भुगतान की कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए सभी बाध्य होगे।

<u>भुगतान की शर्तें –</u>

- प्रथम किश्त की राशि 20 प्रतिशत भुगतान, प्रशिक्षण प्रारंभ करने के उपरांत एवं सीएसएसडीए पोर्टल पर अपलोड की गई सूची/टी.बी.एन. आने पर किया जावेगा।
- द्वितीय किश्त राशि 20 प्रतिशत का भुगतान, परीक्षा परिणाम एवं उपस्थिति के आधार पर किया जावेगा।
- तृतीय किश्त राशि 60 प्रतिशत का भुगतान प्रशिक्षणार्थियों के विरूद्व नियोजन प्रतिशत के आधार पर जारी किया जावेगा।
  - चयनित संस्था/प्रतिष्ठान द्वारा कॉलेज़ परिसर में व्यवसाय विशेष हेतु प्रयोगशाला की स्थापना स्वयं द्वारा करने की स्थिति में किसी प्रकार का अग्रिम अथवा कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
  - चयनित संस्था/प्रतिष्ठान को प्रशिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ से परीक्षा संपादन तक समस्त लिपिकीय कार्य, अनुशासन व्यवस्था, प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति का दायित्व होगा।
  - गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य होगा, किसी भी समय यह पाया जाता है कि प्रशिक्षण गुणवत्तापूर्ण नहीं हो, तो कार्यादेश निरस्त कर सुरक्षा निधि राजसात कर ली जावेगी।
  - प्रक्षिणार्थियों के मोबलाईजेशन तथा प्रशिक्षण उपरांत नियोजन की जिम्मेदारी चयनित संस्था की ही होगी।
  - राज्य कौशल विकास प्राधिकरण से जारी दिशा–निर्देश के अनुसार नियोजन से संबंधित कार्यवाही करना अनिवार्य होगा। जिसमें समय–सीमा का विशेष ध्यान देवे।
  - आवासीय प्रशिक्षण का निर्धारण लाईवलीहुड कॉलेज द्वारा किया जावेगा, इसके अतिरिक्त अगर ट्रेनिंग पार्टनर द्वारा आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है, उस स्थिति में प्रशिक्षणार्थियों के ठहरने हेतु आवास

सुविधा व भोजन की व्यवस्था (चाय नाश्ता दोपहर एवं रात्रि भोजन) की जिम्मेदारी ट्रेनिंग पार्टनर की होगी।

- इसके अतिरिक्त प्रत्येक ट्रेनिंग पार्टनर एवं उनके स्टाफ को लाईवलीहुड कॉलेज के Code of Conduct एवं नियमों के अनुसार आचरण करना होगा।

प्रस्ताव जमा करने हेतु नियम एवं शर्ते :–

1. एजेंसी/संस्था/सोसायटी/प्रशिक्षण/संस्थान/फर्म्स/ आदि को बंद लिफाफा में प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।
2. एजेंसी/संस्था/सोसायटी/प्रशिक्षण/संस्थान/फर्म्स/ आदि के द्वारा प्रस्ताव एवं वित्तीय दर अलग–अलग बंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा।
3. लिफाफा "अ" में प्रस्ताव/आवश्यक दस्तावेज एवं लिफाफा "ब" में वित्तीय दर प्रस्तुत करना होगा। लिफाफा "अ" और "ब" को बंदकर लिफाफा "स" में प्रस्तुत करना होगा।
4. लिफाफा "अ" में प्रस्ताव प्रस्तुत/दस्तावेज रूचि की अभिव्यक्ति में दर्शित नियमों एवं शर्तो के अनुरूप होने पर प्रस्ताव "ब" खोला जायेगा।
5. एजेंसी/संस्था/सोसायटी/प्रशिक्षण/संस्थान/फर्म्स आदि शासकीय संस्था /बस्तर संभाग में कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है।
6. प्रशिक्षणार्थियों का पंजीयन आवश्यकताअनुसार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत व मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनान्तर्गत पोर्टल में प्रशिक्षण संबधित आवश्यक जानकारी इद्राज करना अनिवार्य है।
7. प्रशिक्षणार्थियों के मोबीलाईजेशन की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधि एजेंसी /संस्था / सोसायटी /प्रशिक्षण /संस्थान /फर्म्स आदि की होगी।
8. प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति बॉयोमैट्रिक डिवाईस द्वारा किया जाना अनिवार्य है एवं इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी /संस्था/ सोसायटी/ प्रशिक्षण/ संस्थान/फर्म्स आदि की होगी।
9. प्रशिक्षण प्रदायकर्ता संस्था प्लेसमेंट हेतु संस्था का प्लेसमेंट लिंकेज होना अनिवार्य है। (आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें)
10. Assistant electrician , Plumber General Assistant/ Plumber General , Automotive-Taxi Driver 2-3 Wheeler Service Technician , Domestic Data entry Operator, Assistant Manual Metal Arc Welder / Metal Arc Welder, Field Technician Other Home Appliances कोर्स/सेक्टर में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदाय करने हेतु" सेक्टर अंतर्गत प्रशिक्षण संचालित करने हेतु एजेंसी/संस्था/सोसायटी/प्रशिक्षण संस्था/फर्म्स आदि को निर्धारित कच्चा माल उपलब्ध कराना संस्था/फर्म की होगी ।
11. संबंधित सेक्टर में प्रशिक्षण प्रदाय करने हेतु प्रशिक्षक की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनान्तर्गत निर्धारित मापदण्ड अनुसार होनी चाहिए। साथ ही **टी.ओ.टी. होना अनिवार्य है। अथवा चयन पश्चात एक माह अतंर्गत TOT प्रमाण पत्र ट्रेनर उपलब्ध करना अनिवार्य होगा ।**
12. एजेंसी/संस्था/सोसायटी/प्रशिक्षण संस्थान/फर्म्स आदि के द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनान्तर्गत पूर्व में किए गए कार्य संबंधी अनुभव हेतु कार्यादेश की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

13. एजेंसी / संस्था / सोसायटी / प्रशिक्षण संस्थान / फर्म्स के पास **PAN/TIN/CGGST/CST** पंजीकरण संख्या होना चाहिए।

14. सभी कर सम्मिलित कर के प्रति प्रशिक्षणार्थी आधारित दर प्रस्तुत करना होगा, प्रस्ताव में उल्लेखित दर के अतिरिक्त परिवहन परिवहन या अन्य कोई स्वत्व देय नहीं होगा।

15. प्रत्येक सेक्टर्स के लिए अलग–अलग प्रस्तावित दर के आधार पर अलग–अलग एजेंसी का चयन किया जा सकेगा। निम्नानुसार सेक्टरवार दर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

16. एजेंसी / संस्था / सोसायटी / प्रशिक्षण संस्थान / फर्म्स आदि के द्वारा प्रस्तुत दर को गठित समिति के द्वारा नेगोशिएशन किया जा सकेगा। आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण हेतु कार्यादेश दिया जावेगा।

17. प्रशिक्षण के विरूद्व भुगतान प्रंधानमंत्री कौशल विकास योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनान्तर्गत नेगोशिएटेड दर पर किया जावेगा।

18. प्रत्येक सेक्टर के लिए अलग–अलग प्रपत्र अ, ब, स , प्रस्तुत करना होगा ।

19. प्रस्ताव जमा करने हेतु अंतिम तिथि दिनांक 09 / 06 / 2023 अपरान्ह 3:00 बजे तक एवं प्रस्ताव लिफाफे गठित समिति के समक्ष दिनांक 09 / 06 / 2023 को अपरान्ह 4:00 बजे खोली जाएगी जिसमें संस्था स्वंय / प्रतिनिधि उपस्थित प्रमाणित पत्र हो रह सकते हैं।

20. रूचि की अभिव्यक्ति की अधिक जानकारी जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज के नोटिस बोर्ड तथा जिला दंतेवाड़ा की वेबसाईट www-dantewada.gov.in से प्राप्त कर सकते है।

21. रूचि की अभिव्यक्ति केवल भारतीय डाक के स्पीड पोस्ट के द्वारा ही स्वीकार की जावेगा । इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से जैसे की व्यक्तिगत डिलीवरी , एक्सप्रेस डिलीवरी आदि से प्राप्त नही की जावेगी ।

22. चयनित एजेंसी / संस्था / सोसायटी / प्रशिक्षण संस्थान / फर्म्स को कार्यादेश के अनुरूप प्रशिक्षण संचालन करना अनिवार्य होगा । प्रशिक्षण संचालन नही करने की स्थिति में अमानत राशि वापसी योग्य नही होगा ।

23. चयन नही होने एजेंसी / संस्था / सोसायटी / प्रशिक्षण संस्थान / फर्म्स के अमानत राशि का वापसी आवेदन कर्ता या अधिकृत व्यक्ति प्रमाण पत्र सहित उपस्थित होकर प्राप्त कर सकते है।

24. आवेदन पत्र बंद लिफाफा में निर्धारित तिथि / समय तक जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज दन्तेवाड़ा पता–प्रभारी अधिकारी , जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज कारली गीदम, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा छ0ग0, पिन. कोड 494441, में भारतीय डाक के स्पीड पोस्ट के द्वारा जमा करना होगा । निर्धारित समय / तिथि के पश्चात प्राप्त आवदेन अस्वीकार्य होगी ।

25. चयन प्रक्रिया की किसी भी स्तर पर प्रस्ताव को किसी भी कारण से स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार कलेक्टर सह–अध्यक्ष, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी दन्तेवाड़ा को होगा।

26. किसी भी विवाद की स्थिति में कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी दंतेवड़ा का निर्णय अंतिम एवं सभी के लिए बंधनकारी होगा।

प्रभारी अधिकारी
जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज
जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा

परिशिष्ठ 'अ'

ट्रेनिंग पार्टनर के चयन हेतु SCORE MATRIX

सेक्टर के आधार पर विवरण भरा जावे

क्र	विवरण	स्कोर विभाजन		अधिकतम स्कोर	आवश्यक प्रपत्र
1	संस्था द्वारा पूर्व में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदाय का अनुभव	1–2 वर्ष	5	15	Work order related Documents
		2–4 वर्ष	10		
		>04	15		
2	पूर्व प्रशिक्षित हितग्राहियों की संख्या	Up to 100	2	10	Related Documents
		101- 200	3		
		201- 500	6		
		>501	10		
3	पूर्व में रोजगार एवं स्वरोजगार की स्थिति (%)	20% - 40%	3	10	Related Documents
		41% - 70%	6		
		>70%	10		
4	Trainer	TOT ट्रेनर का सर्टिफिकेट एवं बायोडाटा	15	15	ToT Certificate
		पात्र ट्रेनर का सर्टिफिकेट एवं बायोडाटा	5		Related Documents
5	रोजगार हेतु Industrial Linkage/ company से Tieup	1-50	5	20	MOU/any legal document regarding tie up with companies
		51-100	10		
		100-200	15		
		>200	20		
6	OJT हेतु industrial Linkage/company से Tieup	1-100	8	15	MOU/any legal document regarding tie up with companies
		>100	15		
7	संस्था का Turnover	<20 lacs	5	15	Attach CA Certified Financial Statement
		50-80 lacs	8		
		80-120 lacs	10		
		>120 lacs	15		
			कुल अंक	100	

वित्तीय दर खोलने हेतु कम से कम 60 अंक प्राप्तांक अनिवार्य है।

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी,
जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा
में ट्रेनिंग पार्टनर के चयन हेतु आवेदन पत्र

सेक्टर का नाम .... ट्रेनिंग पार्टनर बनने हेतु

1. संस्था का नाम ....
(पूर्ण पता एवं दूरभाष एवं ईमेल सहित ....
....
2. संस्था का नाम व पंजीयन क्रमांक ....
....
(संस्था प्रमुख के नाम, पता, दूरभाष नं. की जानकारी देवे)
....
3. संस्था का कार्य क्षेत्र ....
4. संस्था को किन–किन सेक्टर में प्रशिक्षण देने का अनुभव है :.......................................
कृपया उल्लेख करें ....
....
5. संबंधित कोर्स .... के लिए प्रशिक्षको एवं अन्य मानव संसाधन के सेक्टरवार सूची एवं बायोडाटा संलग्न करें (प्ररिशिष्ट ब अनुसार)
6. सेक्टरवार/कोर्स में उपलब्ध उपकरणों की सूची संलग्न करें ....(परिशिष्ट अ (I) अनुसार) ....
7. पूर्व में प्रशिक्षित हितग्राहियों की संख्या ....
(परिशिष्ट अ (II) अनुसार) ....
8. पूर्व में प्रशिक्षित हितग्राहियों के रोजगार/स्वरोजगार की जानकारी ....
(परिशिष्ट अ (III) अनुसार) ....
9. प्रस्तावित सेक्टर में नियोजन हेतु अनुबंध की जानकारी ....(परिशिष्ट अ (IV) अनुसार) ....
10. (OJT) हेतु टाई अप कम्पनियों का विवरण ....
(परिशिष्ट अ (V) अनुसार) ....
11. संस्था का अंकेक्षण प्रतिवेदन (विगत 03 वर्षो का) ....
12. संस्था का TAN/PAN/GSTIN प्रमाणित प्रति संलग्न करें ....
13. संस्था का विगत 03 वर्षो का आयकर विवरण की प्रति संलग्न करें।
14. सुरक्षा निधि की राशि बैंक ड्राफ्ट क्रमांक ....दिनांक ....बैंक का नाम ....
15. अन्य विवरण ....

टीप – आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेज सत्यापित कर संलग्न करें।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

घोषणा पत्र

एतद् द्वारा संस्था यह घोषणा करता/करती है कि आवेदन पत्र में प्रस्तुत समस्त जानकारी सत्य है। ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में चयन की स्थिति में संस्था समस्त निर्देशों का पालन करेगा/करेगी।

स्थान ....

दिनांक ....

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

(पदमुद्रा सहित)

परिशिष्ट–अ (I)

पूर्व में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदाय का अनुभव

क्र.	सेक्टर का नाम	जॉब रोल/कोर्स का नाम	कार्यानुभव (वर्ष में)	योजना का नाम	कार्य क्षेत्र (ग्राम/शहर, ब्लॉक जिला, राज्य का स्पष्ट उल्लेखित करें)	रिमार्क (अनुभव दर्शित अवधि के संबंधित योजना/विभाग से अधिकृत कार्यादेश/अनुबंध की प्रति संलग्न करें)
1	2	3	4	5	6	7

स्थान ....

दिनांक ....

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

परिशिष्ट–अ (II)

पूर्व में प्रशिक्षित हितग्राहियों की संख्या का विवरण

क्र.	सेक्टर का नाम	जॉब रोल/कोर्स का नाम	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष	प्रशिक्षित हितग्राही संख्या	रिमार्क (संबंधित कोर्स में प्रशिक्षित हितग्राही संख्या हेतु पोर्टल प्रति संलग्न करें)
1	2	3	4	5	6	7

स्थान ....

दिनांक ....

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

परिशिष्ट–अ (III)

पूर्व में प्रशिक्षित हितग्राहियों के रोजगार की जानकारी

क्र.	सेक्टर का नाम	जॉब रोल / कोर्स का नाम	प्रशिक्षित हितग्राही संख्या	नियोजित हितग्राहियों की संख्या	नियोक्ता का नाम	नियोक्ता का पता	वेतनमान	संपर्क नंबर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

स्थान ....

दिनांक ....

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

परिशिष्ट–अ (IV)

प्रस्तावित सेक्टर/जॉब रोल/कोर्स के नियोजन हेतु टाई–अप कंपनियों की जानकारी

क्र.	सेक्टर का नाम	जॉब रोल/कोर्स का नाम	प्रस्तावित हितग्राही संख्या	नियोजन Industrial Linkage /रोजगार हेतु Tie-up company				रिर्माक (संबंधित कंपनी से अनुबंध/सटाम्प पेपर पर नियोजन संख्या दस्तावेज संलग्न करें।
1	2	3	4	5	6	7		
				आवश्यक रिक्तियों की संख्या	पदनाम	कंपनी नियोक्ता का नाम व पूर्ण पता	मोंबाईल नंबर एवं ई–मेल	

स्थान ....

दिनांक ....

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

परिशिष्ट–अ (V)

प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों के ऑन जॉब हेतु टाई–अप कंपनियों की जानकारी

क्र.	सेक्टर का नाम	जॉब रोल / कोर्स का नाम	प्रस्तावित हितग्राही संख्या	ऑन जॉब ट्रेनिंग हेतु टाई –अप कंपनी / संस्था की जानकारी का विवरण		रिर्माक (संबंधित कंपनी से अनुबंध / स्टाम्प पेपर पर नियोजन संख्या दस्तावेज संलग्न करें)
				कंपनी / नियोक्ता का नाम व पूर्ण पता	OJT में भेजे जाने वाले हितग्राहियों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7

स्थान ....

दिनांक ....

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

परिशिष्ट–ब

प्रशिक्षण कार्य में नियोजित किये जाने वाले प्रशिक्षकों तथा सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षक की जानकारी

क्र.	प्रशिक्षक का नाम	शैक्षणिक / व्यावसायिक योग्यता	सेक्टर / जॉब रोल / कोर्स का नाम	कार्यानुभव	TOT उत्तीर्ण तिथि एवं वैधता की तिथि	रिर्माक
1	2	3	4	5	6	7

प्रशिक्षण के संचालन हेतु अन्य मानव संसाधन (HR) की जानकारी

क्र.	पदनाम	नाम	शैक्षणिक योग्यता	कार्यानुभव	रिर्माक
1	2	3	4	5	6

स्थान ....

दिनांक ....

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)